न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 39/2018

विश्वम्भर लाल RAS (R) निवासी 298/5 सेक्टर–3 विधाधर नगर जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 13.08.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को दिनांक 08.06.2018 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1–अधोहस्ताक्षरकर्ता आपके अधीन 1–सहायक कलेक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट उनियारा के पद पर 13 जुलाई 1998 से 20 जनवरी 1999 तक और 2–अतिरिक्त कलेक्टर(पुर्नवास)एंव भू.अ.अ. बीसलपुर परियोजना देवली के पद पर 07 अक्टूबर 2016 से 30 जून 2017 तक कार्यरत/पदस्थापित रहा है,इन समयावधि मे मेरे मासिक वेतन से विभिन्न मदो एस.आई,जी.पी.एफ आयकर आदि मे कटोतियां की गई थी,का पूर्ण विवरण जीए–55 ए की 02–02 प्रतियां पृथक–2 कार्यालयवार की सूचना चाहिए। इस समयवधि मे बढे हुए डी.ए. की राशि जो जी.पी.एफ खाते मे जमा हुई की भी पूर्ण सूचना दो–दो प्रतियो मे चाहिए।

2–कार्मिक विभाग,शासन सचिवालय जयपुर द्वारा मेरे ए.पी.ओ. अवधि 13 मई 1998 से 12 जुलाई 1998 के वेतन आहरण के आदेश श्रीमान को दिये थे। इस अवधि के वेतन मे की गई कटौतियां का विवरण की प्रतियां दो–दो चाहिए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किंया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1180 दिनांक 06.08.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 308 दिनांक 07.08.2018 से अपीलार्थी को सूचना के संबंध मे जवाब प्रेषित करते हुए प्रति न्यायालय हाजा को प्रेषित की है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक